

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 30, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री –

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-2,

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3,

(iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-4,

(v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-5, एवं

(vi) मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वर्ष 2019-2020 एवं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे (खण्ड-I एवं II) वर्ष 2019-2020, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का 88 वां एवं 89 वां प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 तथा 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री,

(क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-2-12-2018-सात-7, दिनांक 10 मार्च, 2021,

(ii) क्रमांक एफ-2-12-2018-सात-शा-7 (शुद्धि पत्र), दिनांक 29 जून 2021, एवं

(iii) क्रमांक एफ-2-2/2020/सात/7, दिनांक 04 अगस्त, 2021, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में 06 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया, तथा

(ख) मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) की धारा 16 (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-2-7/2015/सात/7, दिनांक 29 जुलाई 2021, जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किया गया पटल पर रखेंगे.

(3) **डॉ. प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री**,

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार -

- (i) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
- (ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020,
- (iii) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
- (iv) शहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,
- (v) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020,
- (vi) बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, एवं
- (vii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का 18 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2019-2020 के अंकेक्षित लेखे,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, एवं

(घ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं:-

- (i) क्रमांक 983/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,
- (ii) क्रमांक 984/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,
- (iii) क्रमांक 985/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,
- (iv) क्रमांक 986/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021,
- (v) क्रमांक 987/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2021, एवं
- (vi) क्रमांक 1023/मप्रविनिआ/2021, भोपाल, दिनांक 22 जुलाई, 2021,

पटल पर रखेंगे.

(5) **डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री**, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1) (घ) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-2020,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2019-2020,

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-2019,

(च) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020, तथा

(छ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2020-2021,

पटल पर रखेंगे.

(6) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 एवं अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री हरदीप सिंह डंग, पर्यावरण मंत्री**, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री राजवर्द्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री**, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन, ग्वालियर लिमिटेड का वित्तीय लेखे वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(9) **श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा -**

(क) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-2020, एवं

(ख) भारत सरकार की गार्ड लाईन के बिन्दु क्रमांक-2 के उप बिन्दु (7) की अपेक्षानुसार समग्र शिक्षा अभियान मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

4. अगस्त, 2021 सत्र की स्थगित बैठकें दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2021 की प्रश्नोत्तर सूचियां तथा प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-8 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन अगस्त, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्रीमती कृष्णा गौर**, सदस्य, भोपाल नगर निगम क्षेत्र की भूमियों पर भू-राजस्व / लगान पर पंचायत उपकर का आरोपण किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) **डॉ. सतीश सिकरवार, श्री संजीव सिंह "संजू", श्री राकेश मावई**, सदस्य, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग सहित अन्य जिलों में बाजरे की खरीदी न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया**, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित तृतीय, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) **श्रीमती गायत्री राजे पवार**, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) **श्री पी.सी. शर्मा**, सभापति, लोक लेखा समिति का अठारहवां से तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री रामपाल सिंह**, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलगवां के पास स्थानीय नाले पर रिपटा के स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल**, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम खण्डराज से चारबत्ती चौराहा तक का नवीन मार्ग स्वीकृत किये जाने,

(3) **श्री शरदेन्दु तिवारी**, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम बरों में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(4) **कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर (भिड़ौसा)**, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम पंचायत दिमनी, बड़ियाहार, सिहोनिया धरा, बरेह, गोठरा व रानपुर को नगर पंचायत बनाये जाने,

(5) **श्री संजय यादव**, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम गंगई में खेल मैदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने,

(6) **श्री कुंवरजी कोठार**, सदस्य, राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पांच मुख्य सड़कों का निर्माण कराये जाने,

(7) **डॉ. हिरालाल अलावा**, सदस्य, धार जिले के ग्राम खेड़ी हवेली में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी**, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम समदई से सिमरया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री राकेश गिरि**, सदस्य, टीकमगढ़ नगर स्थित महेन्द्र सागर तालाब के गहरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने,

(10) **श्री प्रताप ग्रेवाल**, सदस्य, धार जिले के ग्राम गंगातलाई में हनुमन्त्या फाटे से पचाया टोड़ी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) **डॉ. सतीश सिकरवार**, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम कोठी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री जालम सिंह पटेल**, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम धमना से लकडहाऊ सगोनी (खुर्द) तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(13) **डॉ. सीतासरन शर्मा**, सदस्य, होशंगाबाद जिले के फेफरताल में साईं किरण विहार कालोनी से कृष्णा केरियर स्कूल होते हुए गीता भवन तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(14) **श्री उमाकांत शर्मा**, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम फतेहगढ़ में सड़क व पुल का निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा)**, सदस्य, इन्दौर शहर के सांवेर अंतर्गत ग्राम पंचायत चित्तीड़ा से पोटलोद तक ग्राम टुमनी होते हुए मार्ग निर्माण कराये जाने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

11. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2021-2022 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) **डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.**

(2) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 30 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.**

(3) **श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.**

(4) **डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 32 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.**

(5) **श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 33 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.**

13. वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

**भोपाल :
दिनांक : 20 दिसम्बर, 2021.**

**ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.**